रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29012022-232984
CG-MH-E-29012022-232984

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943
No. 61] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/MAGHA 8, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 28 जनवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/72.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में,-

I. विनियम 2 में, -

(i) उप-विनियम (1) में, खंड (घ) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(घक) केवाईसी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी (केआरए) के संबंध में "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ:-

(i) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो वही होगा जैसा अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में बताया गया है;

(ii) किसी अन्य मामले में, नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) में परिवर्तन होगा;

स्पष्टीकरण.- उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, शब्दों "नियंत्रक हित" का अर्थ है,

(क) कोई हित (इंटरेस्ट), चाहे फिर वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जो मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत तक का हो; या

(ख) अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार अथवा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) पर नियंत्रण रखने का अधिकार;"

(ii) उप-विनियम (1) में, खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ज) "केवाईसी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी (केआरए)" एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत बनी और रजिस्टर हुई हो, और जिसे इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो जिसे अब से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) समझा जाएगा;"

(iii) उप-विनियम (1) में, खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(झ) "केवाईसी" का अर्थ है – पते के सबूत, पहचान के सबूत का निर्धारण करने तथा उनका सत्यापन करने के लिए और धन-शोधन निवारण (काले धन को वैध बनाए जाने से रोकने) के संबंध में बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा परिपत्रों (सर्कुलर्स) का पालन करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया;"

(iv) उप-विनियम (1) में, खंड (ट) एवं खंड (ठ) हट जाएंगे ।

(v) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए किंतु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, अधिनियम या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42), या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996] (1996 का 22), या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 [प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट, 2002] (2003 का 15) अथवा उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों

(रेग्यूलेशन्स) अथवा उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुन:अधिनियमिति में उनके लिए दिए हुए हैं ।"

II. विनियम 7 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(5) जहाँ केआरए नियंत्रण में परिवर्तन का प्रस्ताव करता हो, वहाँ वह परिवर्तन के बाद उसी रूप में कार्य जारी रखने के लिए बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेगा ।"

III. विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"**केवाईसी के प्रयोजनार्थ केआरए द्वारा लिए जाने वाले दस्तावेज**

14. केआरए मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) से ग्राहक के केवाईसी संबंधी दस्तावेज, धन-शोधन निवारण (काले धन को वैध बनाने से रोकने) के संबंध में बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), दिशानिर्देशों और परिपत्रों (सर्कुलर्स) के अनुसार, लेगा।"

IV. विनियम 15 में,

(i) खंड (घ) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(घक) केआरए मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) द्वारा उसके सिस्टम पर अपलोड किए गए केवाईसी संबंधी रिकॉर्ड की मान्यता स्वतंत्र रूप से उसी प्रकार जाँचेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।"

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ङ) केआरए ग्राहक के केवाईसी संबंधी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रूप में धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) [प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट, 2002] के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बताई गई अवधि तक, रखेगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि केवाईसी संबंधी जानकारी निर्धारित समयावधि के भीतर ही पुन: प्राप्त हो जाए ।"

(iii) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ट) केआरए अपने डाटाबेस तक अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और अपने सिस्टम तथा प्रकियाओं का नियमित रूप से ऑडिट करवाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।"

(iv) खंड (ण) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(त) प्रत्येक ग्राहक के केवाईसी संबंधी रिकॉर्ड के संबंध में यदि कुछ अपलोड किया जाता है / बदलाव किया जाता है / डाउनलोड किया जाता है, तो केआरए उसका पूरा पिछला रिकॉर्ड (ऑडिट ट्रेल) रखेगा ।"

V. विनियम 16 में, खंड (घ) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(ङ) मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) केआरए के सिस्टम के साथ अपने सिस्टम को जोड़कर रखेगा, ताकि केवाईसी संबंधी दस्तावेजों का केआरए और मध्यवर्ती के बीच बिना किसी रुकावट के आदान-प्रदान हो सके ।"

VI. विनियम 18 में, उप-विनियम (2) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखा बहियाँ, रिकॉर्ड और केवाईसी संबंधी दस्तावेज, जो भी बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताए जाएँ, केआरए द्वारा रखे जा रहे हैं;

VII. अनुसूची I में, प्ररूप क में, भाग I में, खंड 1.10 के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"1.10 आवेदक की पिछले तीन वित्तीय वर्षों की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) [तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की प्रति और अंतिम शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) की प्रति संलग्न करें, जिन्हें ऐसे पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसार मान्य व्यवसाय-प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) हो]

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./619/2021-22]

<u>पाद टिप्पण</u>:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/29/36772, 2 दिसम्बर, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 तत्पश्चात् –

(क) 22 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/35/6998, द्वारा

(ख) 13 मार्च, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/46/522, द्वारा

(ग) 11 अगस्त, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/05/23483, द्वारा

(घ) 8 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

(ङ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

(च) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(छ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th January, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

{KYC (KNOW YOUR CLIENT) REGISTRATION AGENCY} (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/72.—In exercise of the powers under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, –

I. In regulation 2, –

(i) in sub-regulation (1), after clause (d), the following new clause shall be inserted, namely, –

"(da) "change in control", in relation to a KRA, means: ─

(i) if its shares are listed on any recognised stock exchange, change in control within the meaning of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(ii) in any other case, change in the controlling interest;

Explanation. ─ For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means,

(A) an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty-one percent of voting rights; or

(B) right to appoint majority of the directors or to control the management directly or indirectly;"

(ii) in sub-regulation (1), in clause (h), the words and symbols "Companies Act, 1956" shall be replaced with the words and symbols "Companies Act, 2013 (18 of 2013)".

(iii) in sub-regulation (1), in clause (i), the word "prescribed" shall be replaced with the word "specified".

(iv) in sub-regulation (1), clause (k) and clause (l) shall be omitted.

(v) sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, –

"(2) All other words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning as have been assigned to them under the Act or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003) or any rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be."

II. In regulation 7, after sub-regulation (4), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, –

"(5) Where the KRA proposes change in control, it shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change."

III. In regulation 14, the words and symbol "; as prescribed by the Board and" shall be omitted.

IV. In regulation 15,

(i) after the clause (d), the following new clause shall be inserted, namely, –

"(da) KRA shall carry out an independent validation of the KYC records uploaded onto its system by the intermediary in such a manner as specified by the Board from time to time."

(ii) in clause (e), the word "Rules" shall be replaced with the words and symbols "rules made under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003)".

(iii) in clause (k), the words "as prescribed by the Board" shall be replaced with the words "as specified by the Board from time to time".

(iv) after clause (o), the following new clause shall be inserted, namely, –

"(p) KRA shall maintain an audit trail of any upload/ modification /download regarding the KYC records of each client.

V. In regulation 16, after clause (d), the following new clause shall be inserted, namely, –

"(e) The intermediary shall integrate its systems with the KRA to facilitate seamless movement of KYC documents to and from the intermediary to the KRA."

VI. In regulation 18, in sub-regulation (2), in clause (a), the words "as prescribed by the Board" shall be replaced with the words "as specified by the Board from time to time".

VII. In schedule I, in Form A, in Part I, in clause 1.10, after the words "practicing chartered accountant", the words and symbols "having a valid certificate of practice under sub section (1) of section 6 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949)" shall be inserted.

AJAY TYAGI, Chairman

[Advt.-III/4/Exty./619/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 2nd December, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/29/36772.
2. The Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011 were subsequently amended on –
   (a) 22nd March, 2013 by the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/35/6998.
   (b) 13th March, 2014 by the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/46/522.
   (c) 11th August, 2014 by the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/05/23483.
   (d) 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/ NRO/GN/2016-17/023.
   (e) 6th March 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with 29th March 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/ GN/2016-17/038.

(f) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(g) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.29 10:48:52 +05'30'